

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

दमा नं 176 / 2024

तारीख रजू - 20-8-2024

दावा बाबत तक्रारणा एवं स्थायी निर्णयार्था

सल आईडीओ नम्बर 2024/327

उपनाम

न पुत्र हरीचरण जाति जाटव निवासी सौमलारात्रा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

धरम पुत्र गुरगा जाति जाटव निवासी सौमलारात्रा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-03

दिनांक	फर्द अहकाम
20-8-2024	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>01/10/24 <small>सुप्रीम उपरिष्ठ/पीआरटी अधिकारी</small> <b>डा. न. अ. के. चतु</b> <small>पेश है। अगला दिनांक 18/11 को पेश है।</small></p>
18/11	<p><small>सुप्रीम उपरिष्ठ/पीआरटी अधिकारी</small> <b>डा. न. अ. के. चतु</b> <small>पेश है। अगला दिनांक 22/11 को पेश है।</small></p>
22/11	<p>पत्रावली में वादी की ओर से दायता माफ़ कर एडवोकेट वकालतनामा पेश कर गिराव लवनी के शुल्क प्रत्यक्ष पेश की। वादी व वादी वकील के अफ़सस रुक्या कि वादी व वादी वकील शुल्क जारी नहीं चलाना चाहते हैं। वादी व वादी वकील वकालतनामा में अफ़सस में काटिब न करवाए जावे। अतः सु. नं. 176/24 दावा नं. 1/24 नवीन बनाम धरम पुत्र गुरगा में शामिल अफ़सस किया जाता है। पत्रावली के अंत में अफ़सस नंबर की अफ़सस की।</p> <p style="text-align: right;">NOTE PRESS</p>

